

आरक्षण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रौंकी - 834 004

राँची, दिनांक : 11/04/16

क्रम	जिले का नाम	निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम/पता
1	2	3
1	लोहरदगा	1. श्री अमरनाथ सिंह, छत्तर बगीचा, पो0+जिला+थाना-लोहरदगा, पिन-835302 - सदस्य
2	रामगढ़	1. श्रीमती रीना देवी मेहता, ग्राम+पो0- अरगड़ा, थाना+जिला-रामगढ़, पिन-829101 - सदस्य
3	बोकारो	1. श्री नरोत्तम प्रसाद, ग्राम-हजारी, पो0-रवांग, थाना-गोमिया, जिला-बोकारो, पिन-829128 - सदस्य
4	धनबाद	1. श्री पवन कुमार ओझा, ओझा निवारा, लाह बनी धईया, पो0-आई0एस0एम0 धनबाद, जिला- धनबाद, पिन-826004 - सदस्य
5	जमशेदपुर	1. कुमारी धनु गोराई, एच0न0-12, राकृष्ण कॉलोनी, पायल सिनेमा के पीछे मानगा, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर - सदस्य
6	चाईबासा	1. लक्ष्मी मधुवा, छोटा नीमडीह, चाईबासा, परिवर्नी सिंहभूम, पिन-833101 - सदस्य
7	सरायकेला	1. श्री नीलकण्ठ महतो, ग्राम-मुण्डा देव, पो0-गालुडीह, जिला-सरायकेला, पिन-833101 - सदस्य
8	देवघर	1. श्री कौशल कुमार, अहिल्या सदन, श्रीकान्त रोड बेलवागान, पो0-डाबर ग्राम, थाना- देवघर राव डिविजन, जिला-देवघर, पिन-814142 - सदस्य
9	गोड्डा	1. डॉ० गिरिजा भूषण ठाकुर, बाबु पाड़ा अस्पताल रोड, गोड्डा, जिला-गोड्डा पिन-814133 - सदस्य
10	पाकुड़	1. श्री विनोद कुमार प्रामाणिक, सिंधी पाड़ा, पाकुड़ पो0+जिला-पाकुड़, पिन-816107 - सदस्य
11	जामताड़ा	1. श्री कानाई दत्त, ग्राम-बारवों, पो0- हरिराख, जिला-जामताड़ा, पिन-815361 - सदस्य
12	बतारा	1. श्री अरविन्द कुमार, पोंचदा मुहल्ला, छठ तालाब रोड, बोर्ड नं०-5, पो0+जिला-बतारा, पिन- 825401 - सदस्य

1. प्रत्येक निरीक्षण दल, अधिसूचित गृहों के विकास और सुधार के लिए सुझाव देगा।
2. निरीक्षण दौरा कम से कम तीन सदस्यों द्वारा किया जायेगा।
3. निरीक्षण दल गृहों का निरीक्षण या तो पूर्व सूचना देकर या आकरिमक कर सकेगा।
4. दल गृहों के निरीक्षण के दौरान उनके कल्याण को अवधारित करने और उसके अवरोधों को दूर के लिए बालकों से विचार-विमर्श करेगा।
5. जिलावार गठित निरीक्षण दल अधिनियम की धारा - 62 की उपधारा - (3) के अनुसार जिला सलाहकार बोर्ड के रूप में कार्य करेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(राजेश सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं० - सं० क०-कि०न्या० - 77/2010 - 965

राँची, दिनांक : 11/04/16

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं अगले अंक में प्रकाशनाथ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 20 प्रतिशत विभाग को भेजने की कृपा की जाय।



(राजेश सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं० - सं० क०-कि०न्या० - 77/2010 - 965

राँची, दिनांक : 11/04/16

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड/कारा निरीक्षक/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय/ महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सभी जिला सत्र न्यायाधीश/सभी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ आदिवासी कल्याण आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/निदेशक, सनाज कल्याण, झारखण्ड/सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी/सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली/अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार/अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली/राज्य निरीक्षण दल एवं संबंधित जिला निरीक्षण दल के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(राजेश सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची - 834 004

अधिसूचना

राँची, दिनांक : 11/04/16

संख्या - सं० क०-कि०न्या० - 77/2010 - 967 / राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा - 4 एवं झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली 2007 के नियम - 4 के प्रावधान के अनुरूप निम्न जिलों में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के रिक्त पदों पर चयन इस निमित्त गठित चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नवत् किया जाता है-

क्रम	जिले का नाम	किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य/महिला सदस्य के नाम/पता
1	2	3
1	राँची	1. श्रीमती मीना कुमारी, 204, मनोरंजन अपार्टमेंट, कडरु, राँची, पिन-834002 - महिला सदस्य
2	गुमला	1. श्रीमती फुदो देवी भास्कर अपार्टमेंट के पीछे, पीदी टोली, मोराबादी, पिन-834004 - महिला सदस्य
3	लोहरदगा	1. श्री राजेश कुमार गुप्ता, न्यू रोड पावरगंज, ग्राम+पो-लोहरदगा, जिला-लोहरदगा, पिन-835302 - सदस्य
4	सिमडेगा	1. श्री शिवदयाल प्रसाद, ग्राम-गुलजार गली, पो+जिला-सिमडेगा, पिन-835223 - सदस्य
5	धनबाद	1. श्रीमती जहानवी कुमारी, द्वारा-अशोक सिंह, मो-जयप्रकाश नगर वार्ड नं०-6, गली नं०-10, जिला-धनबाद, पिन-826001 - सदस्य
6	गिरिडीह	1. श्री अरशद हुसैन, लाईफ लाईन मेडिसिन (मुरिलम बाजार), जिला-गिरिडीह, पिन-815301 - सदस्य
7	कोडरमा	1. श्री हरि शंकर प्रसाद, मो-विद्यापुरी, पो-झुमरी तिलैया, थाना- तिलैया, जिला-कोडरमा, पिन-825409 - सदस्य
8	सरायकेला	1. डॉ० सुरेश प्रसाद साहू, ग्राम-सांकुल, पो-पतरातु, जिला-रामगढ़, पिन-829120 - सदस्य
9	पलामू	1. श्रीमती निर्मला तिवारी, आबादगंज, भुवान यज्ञ ऑफिस, डाल्टेनगंज, जिला-पलामू, पिन-822132 - महिला सदस्य
10	लातेहार	1. श्रीमती रिमता सिंह, द्वारा- मनोज कुमार सिंह, मो-सुखदेवनगर, पो-हेहल, जिला-राँची - महिला सदस्य

उपर्युक्त गठित किशोर न्याय बोर्ड को उनके नाम के सामने अंकित जिलों के नामों की सुनवाई हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

1. किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य किशोर न्याय अधिनियम से संबंधित विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे। जिसकी व्यवस्था निकट भविष्य में राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।
2. प्रत्येक बोर्ड/न्यायपीठ को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ प्राप्त होगी।

3. प्रत्येक बोर्ड की कालावधि तीन वर्ष की होगी और सदस्यों की नियुक्ति बोर्ड की कालावधि के साथ समाप्त हो जाएगी।
4. विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामलों की जाँच तथा निष्पादन गठित बोर्ड द्वारा अधिनियम तथा नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
5. प्रत्येक बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों को बोर्ड द्वारा आहूत बैठक में भाग लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित बैठक भत्ता देय होगा।
6. बोर्ड के गठन हेतु महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय एवं झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत किशोर न्याय (बच्चों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2007 के नियम-91 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त है।
7. चयनित किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य को योगदान के समय विभागीय पत्र सं०-1402 दिनांक-22.07.2014 के आलोक में वांछित शपथपत्र एवं प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(राजेश सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं० - सं० क०-कि०न्या० - 77/2010 - 967

राँची, दिनांक : 11/04/16

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 50 प्रतियाँ विभाग को भेजने की कृपा की जाय।


(राजेश सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं० - सं० क०-कि०न्या० - 77/2010 - 967

राँची, दिनांक : 11/04/16

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड/कारा निरीक्षक/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय/निदेशक, न्यायिक अकादमी, मेयर्स रोड, राँची/समी जिला सत्र न्यायाधीश/समी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/समी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/समी प्रमंडलीय आयुक्त/आदिवासी कल्याण आयुक्त/समी उपायुक्त/समी आरक्षी अधीक्षक/निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड/समी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी/संबंधित किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट/सदस्यों/सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली/अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार/अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी सदस्य इस अधिसूचना निर्गत की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर अपना योगदान बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष देंगे।


(राजेश सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग
 झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची - 834 004

अधिसूचना

राँची, दिनांक : 11/04/16

संख्या - सो.क.क-कि०न्या० - 77/2010 - 966 / राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा - 29 एवं झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली 2007 के नियम -19 के प्रावधानों के अनुरूप निम्न जिलों में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के रिक्त पदों पर चयन इस निमित्त गठित चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नवत् किया जाता है:-

क्रम	जिले का नाम	बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के नाम
1	2	3
1	राँची	1. श्री दिलीप कुमार सिंह, वृन्दा चीन्स, फ्लैट नं०-4 सी० ब्लॉक-डी०, रोड नं०-9 कुसुम विहार, मोराबादी, राँची, पिन-834008
2	राँची	1. श्री कान्त कुमार, क्वाटर नं०-20, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची,
3	लोहरदगा	1. श्रीमती मनोरमा गिज, छत्तर बगीचा, पो०+भागा+जिला-लोहरदगा, कुसुम विहार, मोराबादी, राँची, पिन-834008
4	सिमडेगा	1. श्री अजीत कुमार, शिक्षक कॉलोनी, जरीडीह रोड, बौधडीह जैन मोड, बोकारो, पिन-829301
5	हजारीबाग	1. भारती नयन, बोझम बाजार जादो बाबु चौक, हजारीबाग, पिन-825301
6	रामगढ़	1. रीना देवी नेहता, ग्राम+पो०-अरमड़ा, थाना+जिला-रामगढ़, पिन-825101
7	कोडरमा	1. अर्चना ज्वाला, देवी मंडप रोड झुमरी तिलैया, जिला-कोडरमा, पिन-825409
8	जमशेदपुर	1. श्रीमती रजनी विनायक राव जोशी, पिता-डॉ० अरविन्द कुमार सिन्हा, हाउस नं०-3, फेज-9, आदर्श नगर, सोनारी जमशेदपुर, पिन-831011
9	लातेहार	1. डॉ० मुरारी झा, ग्राम-भगरा, पो०+थाना-बरवाडीह, जिला-लातेहार, पिन-822111
10	लातेहार	2. श्रीमती शान्ति कमलेश द्वारा-चामू साव, स्टेशन रोड आश्रम, मिडिल स्कूल के सामने, जिला-लातेहार, पिन-822111
11	गोड्डा	1. श्री मेहेन्द्र प्रसाद भगत, शिवपुरी इन्द्रपुरी कॉलोनी कडिला नदी के निकट, जिला-गोड्डा, पिन-814133
12	साहेबगंज	1. श्री सिद्धाम सिंह मुण्डा, सहायक प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, साहेबगंज महाविद्यालय, जिला-साहेबगंज, पिन-816109

2. प्रत्येक बाल कल्याण समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगी।
3. देख-रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक/बालिका जब समिति के समक्ष पेश किया जाएगा/की जाएगी तो समिति उन मामलों का निष्पादन अधिनियम तथा नियमावली में अंकित प्रावधानों के अनुसार करेगी।
4. मनोनीत अध्यक्ष/सदस्य इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर अपना योगदान संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के समक्ष देंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(राजेश सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं० - सं० क०-कि०न्या० - 77/2010 - 966

राँची, दिनांक : 11/04/16

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 20 प्रतियाँ विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

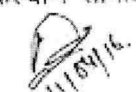

(राजेश सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं० - सं० क०-कि०न्या० - 77/2010 - 966

राँची, दिनांक : 11/04/16

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड/कारा निरीक्षक/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/ महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सभी विभागीय सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/आदिवासी कल्याण आयुक्त/निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड/सभी उपायुक्त/सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी/सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली/अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार/अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली/सभी बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राजेश सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव